

R-167-II/07

11

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, कालियर
प्रकरण क्रमांक 167-15 159 निगरानी

किशनसिंह पुत्र नवावसिंह, निवासी
ग्राम नंदना तहसील राँन जिला -
मिण्ड मध्यप्रदेश - - - - - प्रार्थी

विरुद्ध

१-रणवीरसिंह पुत्र विजयसिंह,

२-बाबूसिंह पुत्र कलूसिंह,

निवासीगण ग्राम नंदना तहसील
राँन जिला मिण्ड मध्यप्रदेश - -
--प्रतिप्रार्थीगण

179 - 5

Handwritten signatures and dates: 26/2/24, 26/2/24

मिण्ड मध्यप्रदेश म.प्र. (कालियर)

Handwritten signature and date: 26/2/24

निगरानी विरुद्ध निर्णय अपर आयुक्त
महोदय, चंबल संभाग, डिवीजन 25-9-59 धारा
५० लेण्ड २० कोड मध्यप्रदेश । प्रकरण क्रमांक
१३७।८४-८५।अपील ।

श्रीमान,

निगरानी का प्रार्थी पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

- (१) यह कि अपर आयुक्त महोदय को आज्ञा कानून सही नहीं है ।
- (२) यह कि अपर आयुक्त महोदय ने अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के
स्वमत निर्णयों को निरस्त करने में कानूनी मूल की है ।
- (३) यह कि जो आपत्ति समय प्रारंभिक न्यायालय में नहीं उठाई
गई उस आपत्ति पर बाद में विचार नहीं किया जा सकता है ।
- (४) यह कि अपर आयुक्त महोदय ने स्थाई एवं अस्थाई नियुक्ति के
प्रश्न को अनावश्यक तूल दिया है जब उम्मीदवारों को स्थाई
नियुक्ति के बारे में पता था तब उन्हें इस संबंध में आपत्ति करने
का कोई अधिकार न था ।
- (५) यह कि कानून अस्थाई नियुक्ति के लिये किसी प्रक्रिया का
अपनाया जाना आवश्यक नहीं है । प्रक्रिया का अपनाया
जाना इस बात को धोके है कि नियुक्ति स...

प्रार्थी

R

5.0

R-167-11/07 मिराट (11)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.2.16	<p>आदेशों से बाहरी अधिकारी एक से आगे अथवा अधिक प्रतीक आदेशों से अथवा अधिक अधिकारों के लिए कठोर प्रयत्न करने का आदेश का पालन नहीं किया गया है। अतः प्रत्येक अधिकारी को पारित करने पर ही पक्षकारों द्वारा ही आदेशों को पारित करना है।</p>	<p><i>(Signature)</i> मिराट</p>

R